

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्र. रीडर/2023/ 21 53

दिनांक - 25.07.2023

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

खरथाराम पुत्र उदाराम  
जाति जाट निवासी सुथारों  
का तला गरल तहसील व  
जिला बाड़मेर।


1 मगाराम पुत्र सोनाराम 2 हेमाराम पुत्र राणाराम 3 दौलाराम पुत्र  
सोनाराम 4 मेहाराम पुत्र राणाराम 5 किशनाराम पुत्र पुराराम 6  
दुर्गाराम 7 दलाराम पिसरान हरजीराम 8 हेमाराम 9 हरखाराम 10  
जोगाराम 11 पीराराम 12 गजाराम पिसरान वागाराम 13 भूराराम पुत्र  
नारणाराम 14 भीखाराम 15 नानकाराम पिसरान मूलाराम 16 देदाराम  
17 मेहाराम 18 पूनमाराम 19 गुमनाराम पिसरान मेहाराम 20  
सोनाराम पुत्र मूलाराम 21 ताजाराम पुत्र सोनाराम 22 पूजाराम पुत्र  
पुराराम 23 मालाराम पुत्र हरजीराम 24 अचलाराम 25 ताजाराम  
पिसरान मेहाराम 26 गोमाराम 27 सोनाराम 28 लुम्भाराम 29  
उगराराम 30 मगाराम पिसरान भगाराम 31 देवाराम 32 मानाराम 33  
कुशलाराम पिसरान शेराराम 34 नवली पत्नी पूराराम 35 वाली पत्नी  
सोनाराम 36 कसुम्बी पत्नी सोनाराम जाति जाट निवासी सुथारों का  
तला गरल तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 206/2022

दिनांक- 19/07/23

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सुथारों का तला पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाड़मेर के  
खसरा संख्या 263 रकबा 0.06 बीघा व खसरा संख्या 546/246 रकबा 20.04 बीघा व खसरा संख्या  
551/264 रकबा 48.12 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने  
हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई  
करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित  
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी  
निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।  
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो  
प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


  
(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 25-07-2023

क्रमांक :- रीडर/2023/ 2154 -2157

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी गरल तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. खरथाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सुथारों का तला गरल तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मगाराम पुत्र सोनाराम वगैरह जाति जाट निवासी सुथारों का तला गरल तहसील व  
जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर